न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा

मुकदमा नम्बर 35 / 2017 आदेश दिनांक 19.07.2019

जैसाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

————प्रार्थी

बनाम

1. सोनीदेवी पत्नी भगवानाराम 2. टीकूराम 3. लिछाराम 4. मघी 5. सन्तोष पिसरान भगवानाराम
6. हरभज पुत्र अम्मेदाराम जातिगण जाट निवासीगण चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

————अप्रार्थीगण

उपस्थिति–
1. श्री हनुमान चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में जैसाराम ने जरिये श्री हनुमान चौधरी अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 1399 रकबा 14.00 खसरा नम्बर 1402 रकबा 5.05 हैक्टयर वाके रोही चरकड़ा में स्थित है। भूमि बारानी द्वितीय है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा में स्थित खेत खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1404 रकबा 7.90 हैक्टेयर भूमि है। जो प्रार्थी की खातेदारी खेत के दक्षिण दिशा में स्थित है। अप्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर भूमि के दक्षिण ओर गुजर रहे कटाणी मार्ग में से प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए रास्ता लेना चाहता है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीक से नहीं लगता है । प्रार्थी अपने उक्त खेत में आने जाने, पानी आदि लाने के लिए रास्ता आवश्यक है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर में से 4 मीटर चौडा रास्ता अपने खेत की सीमा तक प्राप्त करना चाहता है जिसका प्रार्थी कानूनन प्राप्त करने का हकदार है । प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त ही आवश्यकता है केवल खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर से ही सुविधाजनक है तथा उपरोक्त खसरो के अलावा वैकल्पिक मार्ग का प्रार्थी के पास अभाव है। इस रास्ते के अलावा अन्य प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर में से धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार अप्रार्थीगण को कीमत देकर रास्ता लेना चाहता है जो प्रार्थी को दिलाया जावें । प्रार्थना पत्र के संलग्न सबसे नजदीक नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ए से बी लाल स्याही से अंकित कर के संलग्न किया है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बाद जांच एवं बाद मौका निरीक्षण प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर में से नियमानुसार रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया है ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलब करने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । स्टेट की तरफ से जबाब पेश हुआ कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 1402 रकबा 5.05 हैक्टयर रोही चरकड़ा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1404 में से होकर रास्ता चाहा गया है । मार्ग प्रार्थी को दिया जाना आवश्यक है क्योंकि मुताबिक रिकार्ड खेत में कोई रास्ता नहीं लगता है । प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है प्रार्थी इसी रास्ते में से होकर अपने खेत में आता जाता है । प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई व चौडाई खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर में से 80 X 4 = 320 मीटर है ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व पैराकार राज तहसीलदार के जवाब आदि का अवलोकन किया गया । प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने का पूर्व में आने जाने का कोई रिकार्डेड मार्ग नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 1404 में से रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 1402 रकबा 5.05 हैक्टयर रोही चरकड़ा में आन जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हैक्टयर में से 80 X 4 = 320 मीटर रास्ता नजरी नक्शे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नोखा संबधित अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को डीएलसी दर से दुगनी राशि का जरिये डीडी से भुगतान करने के बाद राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करें। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)